

Government of Madhya Pradesh

1. Profession Tax:

Tax Structure for Professional Tax

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153, दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान योजनान्तर्गत डाक ब्यय की पूर्व अदायगी डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुसत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 242]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक १ अप्रैल 2010—चैत्र 11, शक 1932

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 1 अप्रैल 2010

क्र. 2219-141-इक्कीस-अ-(प्रा.).—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 29 मार्च 2010 को महामहिम राज्यपाल की अनुमित प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

> पध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश यादव, अपर सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक ९ सन् २०१०.

मध्यप्रदेश वृत्ति कर (संशोधन) अधिनियम, २०१०.

[दिनांक २९ मार्च, २०१० को सन्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति ''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाक्षारण)'' में दिनांक १ अप्रैल, २०१० को प्रथम बार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश वृत्ति कर अधिनियम, १९९५ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :---

- १. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश वृत्ति कर (संशोधन) अधिनियम, २०१० है.
 - (२) यह १ अप्रैल, २०१० से प्रवृत्त होगा.

संक्षित्र नाम और

२. मध्यप्रदेश वृत्ति कर अधिनियम, १९९५ (क्रमांक १६ सन् १९९५) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा २ में, खण्ड (झ) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किया नाए, अर्थात्:—

धारा २ का संशोधन,

''(झ क) ''सेवा'' से अभिप्रेत है किसी भी प्रकार की ऐसी सेवा, जो संभावी उपभोवताओं को उपलब्ध कराई जाती है, जिसके लिए मृल्यवान प्रतिफल प्राप्त किया गया हो या प्राप्त किया जा सकता हो;''.



Government of Madhya Pradesh

| | | , | |
|--|--|--|---|
| 484 | | मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक १ अप्रैल २०१० | |
| अनुसूची का ३. मूल अधिनियम की अनुसूची में, अनुक्रमांक ९ और उससे संबंधित प्रविध्यों के पश्चात्, निम्नलिखित संगोधन: अनुक्रमांक और उससे संबंधित प्रविध्यां अंतःस्थापित की जाएं, अर्थात्:— | | | |
| ''९-क. सेवा प्रदाय में लगे हुए ऐसे व्यक्ति जिनकी कुल वार्षिक प्राप्तियां | | | |
| | (事) | ३,००,००० रुपये से अधिक नहीं है | ন্ধন্ত নहीं |
| | (평) | ३,००,००० रुपये से अधिक किन्तु ५,००,००० रुपये से अधिक नहीं है. | १००० रूपये |
| • . | (শ) | ५,००,००० रुपये से अधिक किन्तु ८,००,००० रुपये से अधिक नहीं है. | २००० रुपये |
| | (ঘ) | ८,००,००० रुपये से अधिक है | २५०० रुपये. ''. |
| | | भोपाल, दिनांक 1 अप्रैल 2010 | |
| क्र. 2220-141-इक्कीस-अ-(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में मध्यप्रदेश वृत्ति कर (संशोधन) अधिनियम, 2010 (क्रमॉक 9 सन् 2010) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है. | | | |
| | | मध्यप्रदेश वे | ह राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश यादव, अपर सचिव. |
| MADHYA PRADESH ACT No. 9 of 2010. | | | |
| THE MADHYA PRADESH VRITTI KAR (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2010. | | | |
| [Received the assent of the Governor on the 29th March, 2018; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 1st April, 2018.] | | | |
| | An Act further to amend the Madhya Pradesh Vritti Kar Adhiniyam, 1995. | | |
| | Be it enacte India as follows: | d by the Madhya Pradesh Legislature in | the Sixty-first year of the Republic of |
| Short title and commencement. | 1. (1) This Act may be called the Madhya Pradesh Vritti Kar (Sanshodhan) Adhiniyam, 2010. | | |
| | (2) It shall come into force from 1st April, 2018. | | |
| Amendment of Section 2. | 2. In Section 2 of the Madhya Pradesh Vritti Kar Adhiniyam, 1995 (No. 16 of 1995) (hereinafter referred to as the Principal Act), After clause (i), the following clause shall be inserted, namely:— | | |
| | (ia) ser | vice means service of any description | which is made available to potential |
| Amendment of Schedule. | users for which valuable consideration is received or receivable;". 3. In Schedule of the Principal Act, after serial number 9 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be inserted, namely:— | | |
| "9A. A person engaged in the supply of service whose annual gross receipts — | | | |
| | (a) | does not exceed rupees 3,00,000 | Nil |
| | (b) | exceeds rupees 3,00,000 but does not rupees 5,00,000. | |

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश हारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित--2010.

exceeds rupees 8,00,000

(¢)

(d)

exceeds rupees 5,00,000 but does not exceed rupees 8,00,000.

Rupees 2000

Rupees 2500".